फार्म "क" / "ख" का प्रारुप
सम्पत्ति पर स्वतः कर का निर्धारण प्रपत्र

1. **भवन स्वामी का विवरण**

 - स्वामी/अध्यासी का नाम.....
 - स्वामी/अध्यासी के पिता/पति का नाम.....
 - भवन /भूखण्ड संख्या.....अस्थाई पता.....
 - सम्पर्क सूत्र..... आधार संख्या.....

2. **सम्पत्ति का प्रकारः** आवासीय ☐ व्यवसायिक ☐

3. **अवस्थित सम्पत्ति :**

 भवन भूमि

 निर्माण वर्ष.....(तीन) जल संयोजन सं0.....

 मंजिलों की संख्या.....(पांच) कमरों की संख्या.....

4. **अवस्थित मार्ग का विवरण है।**

 9 मीटर तक / 9 से 12 मीटर तक / 12 से 24 मीटर तक / 24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर

5. **भवन के निर्माण की प्रकृति**

 कच्चा भवन ☐ अन्य पक्का भवन ☐ पक्का भवन ☐

6. **भवन सम्बन्धित व्यौराः–**(लम्बाई × चौड़ाई)

 (क) समस्त कमरों व आच्छादित यारामदों का अन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में).....

 (ख) बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डारगृह का अन्तरिक (वर्ग फुट में).....

 (ग) समस्त गैराज का आन्तरिक भाग (वर्ग फुट में)

 (ग) भूमि (वर्ग फुट में)

 टप्पणी–स्नानगृह, शौचालय, पौरटिकों और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट का भाग नहीं होंगा।

 भवन का कारपेट एरिया :

 (अ) क + ख/2 + ग/4 =

7. **सामान्य कर :** भवन का वार्षिक किराया मूल्य + भूमि का वार्षिक किराया मूल्य का गृहकर (AVR) का 10 प्रतिशत एवं जलकर 7. 5 प्रतिशत एवं जल निकास कर 2.5 प्रतिशत

वार्षिक मूल्यांकन	गृह कर	जल कर	जल निकास कर	जल मूल्य	कुल राशि

भवन का वार्षिक किराया मूल्य (AVR)=12 × अधिशाषी अधिकारी द्वारा निर्धारित दर × कारपेट एरिया का 80 प्रतिशत

स्वामी/अध्यासी द्वारा घोषणा

मै एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूं, कि इस प्रपत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाये गये हैं और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक : (हस्ताक्षर)

नाम.....

पूरा पता.....